सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनाक 26.06.10 की कार्यवाही :–

उपस्थिति :

1. श्री अजय सिंह नबियाल — अध्यक्ष।
   आई0ए0एस0
   आयुक्त, गढ़वाल मंडल।

2. श्री विजेन्द्र भण्डारी, — सदस्य।
   मसूरी, देहरादून।

3. श्रीमती सुनीता सिंह — पदेन सचिव।
   संभागीय परिवहन अधिकारी,
   देहरादून।

संकल्प संख्या–1–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून की बैठक दिनाक 12.11.09 की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

संकल्प संख्या–2–

सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा परिचालन पद्वति से पारित मद में उल्लिखित आदेष क्रमांक 1 से 5 तक का अनुमोदन किया जाता है।

संकल्प संख्या–3–

सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा क्रमांक अ,ब तथा स पर जारी अस्थाई/स्थाई परमिटों का अनुमोदन किया जाता हैं।

संकल्प संख्या–4–

मद संख्या–4 में वर्णित याचिका सं0–316/2001 में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेष दिनांक 20.05.10 का अवलोकन किया गया। इन आदेषों के अनुपालन में अध्यक्ष, विक्रम जनकल्याण सेवा समिति देहरादून द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 31.05.10 का भी अवलोकन किया गया। इस प्रतिवेदन में विक्रम जनकल्याण समिति ने निवेदन किया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 के संकल्प संख्या–07 द्वारा लिए गये निर्णय के फलस्वरूप स्कूटर इण्डिया लि0 द्वारा विनिर्मित यूरो–।। डीजल चालित विक्रम वाहनों का पंजीयन परिवहन विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है एवम् परमिटों पर इन वाहनों का प्रतिस्थापन व पृष्ठाकन अनुमत नहीं किया जा रहा है।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में यह निर्णय लिया गया था कि '' **देहरादून में प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित करने, यात्रियों को अधिक आरामदायक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने एवं दुर्घटनाओं की आशंकाओं को न्यूनतम करने तथा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कम से कम यूरो–3, 04 पहिया वाली, न्यूनतम दो सिलेंडर वाली डीजल चालित वाहनों अथवा एल0पी0जी0 चालित विक्रम वाहनों से ही प्रतिस्थापन अनुमन्य किया जायेगा**.'' ।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप विक्रम परमिट धारकों के लिए यह आवष्यक है कि अपनी वाहनों की आयु पूर्ण हो जाने पर उनका प्रतिस्थापन या तो एलपीजी चालित विक्रम वाहन से कर दिया जाय अथवा ऐसी डीजल चालित वाहन से किया जाय जो कि यूरो–3, चार पहिए वाली एवम् न्यूनतम 02 सिलेण्डर वाली वाहन हो । उपरोक्त निर्णय को मानने में विक्रम जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा अपनी असमर्थता एवम् कठिनाईयों का हवाला देते हुए कहा गया कि :–

1– वर्तमान में स्कूटर इण्डिया लि0 के द्वारा एलपीजी चालित वाहन का उत्पादन बन्द कर दिया गया है, उनके द्वारा स्कूटर इण्डिया लि0 का पत्र दिनांक 08.05.10 प्रस्तुत किया गया ,जिसमें यह कहा गया कि–

'' As during that period LPG filling stations were not at place hence customers did not come forward to buy this vehicle. This was also the phenomena in other places.

Since this product was not selling for the above mentioned reason we stopped manufacturing of these vehicles. Now with BS-III standards being implemented and we dicided to offer BS-III vehicles to customers.

We are plesed to inform you that our 1000 LG{LPG} vehicles has got approval from the authority at ARAI, Pune. Copy of ARAI approval for 1000 LG{LPG} vehicles is being enclosed for your ready refrerence.

We assure you that in a span of 30/45 days we will be able to offer LPG vehicle to custmers at Dehradun.''

2– उपरोक्त स्थिति में 04 पहिया यूरो–3,न्यूनतम 02 सिलेण्डरों वाली वाहनों से प्रतिस्थापन एक मात्र माध्यम बचता है। किन्तु ये वाहनें मंहगी हैं और इन वाहनों के संचालन का व्यय अधिक है। अतः वे यह वाहन नहीं लगाना चाहते हैं। समिति के अध्यक्ष श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि जब तक एलपीजी चालित विक्रम उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक उन्हें डीजल चालित यूरो–02/03 विक्रम वाहनों से प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्राधिकरण द्वारा सभी पक्षों पर विचार किया गया। चूंकि वर्तमान में एलपीजी चालित विक्रम उपलब्ध नहीं है । अतः एलपीजी चालित विक्रम वाहन से प्रतिस्थापन की षर्त की बाध्यता को षिथिल करते हुऐ यह निर्णय लिया गया कि डीजल चालित यूरो–02/03 वाहनों को इस षर्त के साथ प्रतिस्थापन कर दिया जाय कि भविष्य में एलपीजी चालित विक्रम वाहनों के उपलब्ध हो जाने पर इन वाहनों का प्रतिस्थापन एलपीजी चालित वाहनों से करना होगा। एल0पी0जी0 वाहन की उपलब्धता पर यह छूट अनुमन्य नहीं होगी।

संकल्प सं0–5:–

मद सं0–5 के अन्तर्गत नगर बस सेवा मार्गो पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस मद में वर्णित मागों के सम्बन्ध में क्रमानुसार विचारोपरान्त निम्न प्रकार आदेष पारित किये जाते हैं।

1– थाना कैन्ट–परेड ग्राउन्ड मार्ग वाया जीएसएस रोड–आईएसबीटी–बाईपास रोड–रिस्पनापुलः–

श्री भीम सिंह पुत्र नत्थू सिंह, 79 लोअर नत्थनपुर नेहरु ग्राम देहरादून की याचिका सं0–302/10 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.03.10 को पारित आदेषों के अनुपालन में उक्त मार्ग पर विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है । स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्रार्थना पत्रों का उल्लेख परिषिष्ट **क** में दिया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा मार्ग पर 05 रिक्तियों की संस्तुति की गई है। मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 71(ग) के अनुसार 04 परमिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को व 01 परमिट अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को दिया जाना है।

प्राधिकरण द्वारा परिषिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। उपस्थित प्रार्थियों को प्राधिकरण द्वारा विस्तार से सुना गया। श्री भीम सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई, श्री विनोद चन्दोला तथा श्री संजय नेगी ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि उनके पास बसें उपलब्ध हैं जो परमिटों के अभाव मे संचालित नहीं हो पा रही है। उन्होंनें निवेदन किया कि उनको इस मार्ग पर परमिट स्वीकृत कर दिया जाय।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि निम्नलिखित प्रार्थियों को उक्त मार्ग का एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट सामान्य शर्तों के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है।

क्र0सं0	परिषिश्ट का क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पता	अन्य विवरण
1–	क्रमांक–7	श्री भीम सिंह पुत्र श्री नाथीसिंह, 79–लोअर नत्थनपुर, देहरादून ।	वाहन संख्या–यू0के07पीए–0267
2–	क्रमांक–66	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री रतन लाल 196, चुक्खुवाला, देहरादून।	अनुसूचित जाति
3–	क्रमांक–84	श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई पुत्र श्री बी0एस0 गुसाई, 160/3 नेषविला रोड, देहरादून ।	वाहन संख्या–यूके07पीए–0264
4–	क्रमांक–89	श्री विनोद चन्दोला पुत्र श्री रमेष चन्द निवासी डांडा लखोड, गुजराडा, देहरादून ।	वाहन संख्या–यू0के07पीए–0351
5–	क्रमांक–94	श्री संजय नेगी पुत्र श्री गजेन्द्रसिंह 23–तिलक रोड, देहरादून ।	वाहन संख्या–यू0के07पीए–0357

क्रमांक 1, 3, 4 व 5 में वर्णित प्रार्थियों के पास वाहन उपलब्ध है। अतः उनको उसी वाहन पर स्वीकृत परमिट जारी किया जाय। क्रमांक 2 पर उल्लिखित प्रार्थी को नई वाहन पर स्वीकृत परमिट जारी किया जाय।

स्वीकृत परमिट वाहनों के वैध कागजात प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.08.10 तक प्राप्त किये जायेंगे। परिषिष्ट में वर्णित षेष प्रार्थना पत्रों को कोई रिक्ति उपलब्ध न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

2— डी0एल0 रोड—डिफेन्स कालोनी मार्ग—

इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 05 परमिटों की संख्या बढाने की संस्तुति की गई है । मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त 66 प्रार्थना—पत्रों का विवरण परिषिष्ट **''ख''** में दिया गया है तथा दो प्रार्थना—पत्र अनुपूरक सूची में उल्लिखित् है।

प्राधिकरण द्वारा परिषिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। श्री रविन्द्रं सिंह व श्री भरत ने बताया कि उनके पास वाहन उपलब्ध है तथा वे बिना परमिट के वाहन का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया कि उनको उक्त मार्ग का स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किया जाय। प्राधिकरण ने बैठक में उपस्थित प्रार्थयो ंको सुनने के पष्चात विचारोपरान्त निर्णय लिया कि निम्न प्रार्थियों को एक—एक स्थाई सवारी गाडी परमिट सामान्य शर्तो के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जाता है।

क्र0सं0	**परिषिष्ट का क्रमांक**	**आवेदक का नाम तथा पता**	**अन्य विवरण**
1—	क्रमांक—6	श्रीमती बबीता पत्नी श्री राकेष कुमार नयागांव, बद्रीपुर, देहरादून ।	अनुसूचित जाति
2—	क्रमांक—13	श्री रविन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम लाल ग्राम पौंधा देहरादून।	वाहन संख्या—यूके07पीए—0461

3—	क्रमांक—27	श्री भरत पुत्र श्री नाथी राम माजरी माफी, क्लेमेन्टाउन, देहरादून।	वाहनसंख्या—यूके07पीए—0474
4—	क्रमांक—49	श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र श्री चन्द्रप्रकाष 129 नई बस्ती अंबेडकर मार्ग देहरादून।	
5—	क्रमांक—64	श्री विषाल सिंह पुत्र श्री महेष कुमार हरिद्वार रोड हर्रावाला देहरादून।	

क्रमांक 2 व 3 में वर्णित प्रार्थी के पास वाहन उपलब्ध है। अतः उनको उसी वाहन पर स्वीकृत परमिट जारी किया जाय। क्रमांक 1, 4 व 5 में वर्णित प्रार्थीं को नई वाहन पर स्वीकृत परमिट जारी किया जाय। स्वीकृत परमिट दिनांक 31.08.10 तक वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किये जायेंगे। उसके उपरान्त स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी। परिषिष्ट एवम् अनुपुरक सूची में उल्लिखित शेष प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

(3)–<u>परेडग्राउन्ड–प्रेमनगर–परवल–बडोवाला तथा सम्बन्धित मार्गः–</u>

प्रबन्ध निदेषक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने पत्र संख्या–1111/एचक्यू/संचालन–।।/10 दिनांक 25.6.10 द्वारा उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरूद्ध आपत्ति करते हुए कहा गया है कि देहरादून–प्रेमनगर मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग के किसी भाग में निजी क्षेत्र की बस सेवा संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त मार्ग पर निगम द्वारा जेएनएनएयूआरएम योजना के अन्तर्गत नगर बसें चलाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर यदि प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी किये जाते हैं तो पहले परिवहन निगम को वाहन संचालन के लिये कहा जाय। यदि परिवहन निगम इस मार्ग पर बस संचालन न करे तो निजी आपरेटरों को बस संचालन हेतु परमिट दिये जायें।

प्राधिकरण को बताया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून–प्रेमनगर मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित नहीं है। परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर संचालित नगर बस सेवा वर्ष 1996 के उपरान्त बन्द कर दी गई थी। षासन द्वारा मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–102 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण की योजना में अधिसूचना संख्या–2134/30–2–94–240/94 दिनांक 05.08.94 द्वारा संषोधन किया गया था । इस अधिसूचना में अन्य नगरों के साथ–2 देहरादून नगर में भी 20 किमी0 अर्धब्यास के भीतर (विषेष परिस्थितियों में 25 किमी0 अर्धब्यास में) निजि क्षेत्र की बसों द्वारा सडक परिवहन निगम के साथ–साथ निजी नगर बस सेवा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण की अधिसूचना में संषोधन हो जाने के पष्चात ही उपरोक्त मार्ग पर निजी नगर बस सेवा परमिट जारी किये गये है।

इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 05 परमिटों की संख्या– बढाये जाने की संस्तुति की गई है । इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त 69 प्रार्थना–पत्रों का विवरण परिषिष्ट ''**ग**'' में दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा परिषिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। प्राधिकरण के समक्ष 03 प्रार्थी ही उपस्थित हुऐ।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मार्ग पर परिवहन निगम से भी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ले लिये जायें एवम् प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन रिक्तियों के सापेक्ष परमिट देने पर विचार किया जायेगा, जिसमें परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्थगित किया जाता है तथा इन प्रार्थना पत्रों को परिवहन निगम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) <u>कौलागढ–विधानसभा तथा सम्बन्धित मार्ग–</u>

इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति के दो सदस्यों द्वारा 05 परमिट बढाये जाने की संस्तुति की गई है। परन्तु समिति के एक सदस्य पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा यह टिप्पणी की गई हैकि मार्ग शहर के ब्यस्तम चौराहों से होकर निकलता है इसलिए परमिटों में वृद्धि करने की संस्तुति नहीं की जा सकती। इस मार्ग पर परमिटों हेतु 18 प्रार्थना–पत्रों का विवरण परिषिष्ट **''घ''** में दिया गया है।

प्राधिकरण के समक्ष पुकारने पर बैठक में निम्न्लिखित् प्रार्थी उपस्थित हुए उपस्थित प्रार्थियों को सुनने के पष्चात प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि इन प्रार्थियों को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट पांच वर्ष की अवधि के लिये सामान्य शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है।

क्र0सं0	**परिषिष्ट का क्रमांक**	**आवेदक का नाम तथा पता**	**अन्य विवरण**
1–	क्रमांक–12	श्री सुनील शर्मा पुत्र श्री जी0एन0 शर्मा 264,नत्थनपुर, देहरादून ।	
2–	क्रमांक–13	श्री राजेष कुमार पुत्र श्री रतनसिंह निवासी 267, कौलागढ, देहरादून ।	
3–	क्रमांक–16	श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री नाथी सिंह , लोअर नत्थनपुर, देहरादून ।	
4–	क्रमांक–18	कुमारी श्वेता पुत्री श्री हुकुमचन्द 1/77,चुक्खूवाला, देहरादून।	अनुसूचित जाति

स्वीकृत परमिट नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.8.10 तक प्राप्त किये जायेंगें अन्यथा स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। परिषिष्ट में उल्लिखित शेष प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

इस मार्ग पर परमिट प्राप्त करने हेतु 18 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुऐ थे, जिनमे से 04 प्रार्थी ही प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुऐ। अतः 01 रिक्ति आगामी बैठक के लिये सुरक्षित रखी जाय।

(5) बंजारावाला–कारगी–गुलरधाटी वाया रायपुर तथा सम्बन्धित मार्गः–

इस मार्ग पर संयुक्त सर्वे,क्षण समिति के द्वारा 03 परमिटों की संख्या बढाये जाने की संस्तुति की गई है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु 07 प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका विवरण परिषिष्ट **''च''** में दिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा परिषिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। प्राधिकरण के समक्ष निम्न 02 प्रार्थी ही उपस्थित हुये। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि दोनों प्रार्थियों को एक–एक सवारी गाडी परमिट पांच वर्ष की अवधि के लिये सामान्य शर्तो पर स्वीकृत किया जाता है।

1–	क्रमांक–05	श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री एमपी सिंह निवासी 38/12 आर्यनगर, देहरादून।	वाहन सं0–यूए07ई–4919 अस्थाई परमिट पर संचालित
2–	क्रमांक–07	श्री अष्वनी शर्मा पुत्र श्री ईष्वर चन्द निवासी षिव मंदिर, राजपुर, देहरादून।	

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि श्री जितेन्द्र सिंह की वाहन सख्या––यूए07ई–4919 अस्थाई परमिट पर संचालित है। अतः उन्हें उसी वाहन पर तथा क्रमांक 2 पर उल्लिखित प्रार्थी को नई वाहन पर परमिट जारी किया जाय। स्वीकृत परमिट वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.8.10 तक जारी किया जाय। उसके उपरान्त स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

पुकारने पर अन्य कोई प्रार्थी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः 01 परमिट की रिक्ति आगामी बैठक के लिये सुरक्षित रखी जाय। परिषिष्ट में उल्लिखित अन्य प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

(6) पुरकुल गांव–मोथरोवाला वाया मार्ग अनारवाला–सर्किट हाउस–दिलाराम चौक –

इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 03 परमिटों की संख्या बढाये जाने की संस्तुति की गई है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त 33 प्रार्थना–पत्रों का विवरण परिषिष्ट ''छ'' में दिया गया है, तथा दो प्रार्थना–पत्र अनुपूरक सूची में उल्लिखित् है।

प्राधिकरण द्वारा परिषिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। उपस्थित प्रार्थियों को प्राधिकरण द्वारा विस्तार से सुना गया। प्राधिकरण की बैठक में श्री इन्द्र सिंह पुन्न ने बताया कि उनके पास बस उपलब्ध है, जो परमिट के अभाव में संचालित नहीं हो पा रही है, श्री अनुज धवन व श्री कुलदीप सिंह ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि उनकी वाहनें उक्त मार्ग के अस्थाई परमिट पर संचालित हो रही हैं। तीनों प्रार्थियों ने अपनी बसों के लिये स्थाई सवारी गाडी परमिट जारी करने का निवेदन किया है। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि तीनों प्रार्थियों को एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट सामान्य शर्तो पर पांच वर्षो के लिये जारी किया जाय।

क्र0सं0	परिषिष्ट का क्रमांक	आवेदक का नाम तथा पता	अन्य विवरण
1–	क्रमांक 18	श्री इन्द्र सिंह पुन्न पुत्र श्री जे एस पुन्न निवासी 553 टपकेष्वर कालोनी देहरादून।	वाहन संख्या–यूके07पीए–0445
2–	क्रमांक 26	श्री अनुज धवन पुत्र श्री सतीष धवन निवासी लक्ष्मण चौक देहरादून।	वाहन संख्या– यूए07ई–1548
3–	क्रमांक 31	श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह निवासीगोविन्दनगर,सहस्त्रधारारोड,देहरादून।	वाहनसं0–यूए07एन–9348

स्वीकृत परमिट दिनांक 31.08.10 तक वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किये जायेंगे। उसके उपरान्त स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी। परिषिष्ट तथा अनुपुरक सूची में उल्लिखित षेष प्रार्थनापत्रों को मार्ग पर रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

(7) एम0डी0डी0ए0 डालनवाला–डाट मन्दिर तथा सम्बन्धित मार्ग–

इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 03 परमिटों की संख्या बढाये जाने की संस्तुति की गई है। मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त 58 प्रार्थनापत्रों का विवरण परिषिष्ट **"ज"** में दिया गया है तथा दो प्रार्थनापत्र अनुपुरक सूची में उल्लेखित हैं। प्राधिकरण द्वारा परिषिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। उपस्थित प्रार्थियों को प्राधिकरण द्वारा विस्तार से सुना गया। श्री अमर सिंह पंवार तथा श्री सचिन थापा ने उपस्थित होकर बताया कि उनके पास बस उपलब्ध हैं, उन्हें उक्त मार्ग का परमिट स्वीकृत किया जाय।

प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि निम्नलिखित प्रार्थियों को उक्त मार्ग का एक–एक स्थाई सवारी गाडी परमिट पांच वर्ष की अवधि के लिये सामान्य शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है।

क्र0सं0	**परिषिष्ट का क्रमांक**	**आवेदक का नाम तथा पता**	**अन्य विवरण**
1–	(क्रमांक 39)	श्री अमर सिह पंवार पुत्र श्री मगन सिंह पंवार निवासी तुनवाला रायपरु देहरादून।	वाहन सं0–यूके07पीए–0417
2–	(क्रमांक 52)	श्री सचिन थापा पुत्र श्री हरि प्रसाद थापा निवासी हरिपुर नवादा देहरादून।	वाहन सं0–यूके07पीए–0355
3–	क्रमांक 55	श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री हरि लाल निवासी हरिद्वार रोड, हर्रावाला, देहरादून।	

क्रमांक 2 व 3 में वर्णित प्रार्थियों के पास वाहनें उपलब्ध हैं। अतः उनको उन्हीं वाहनों पर स्थाई परमिट जारी किये जाय। क्रमांक 1 में वर्णित प्रार्थी को नई वाहन पर स्वीकृत परमिट जारी किया जाय। स्वीकृत परमिट दिनांक 31.08.10 तक वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किये जायेंगे। उसके उपरान्त स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी। परिषिष्ट तथा अनुपुरक सूची में उल्लिखित शेष प्रार्थनापत्रों को मार्ग पर रिक्ति न होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

(8) <u>परेड ग्राउन्ड–नयागॉव–पेलियो तथा सम्बन्धित मार्ग–</u>

इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 02 परमिटों की संख्या बढाई जाने की संस्तुति की है। मार्ग पर सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त–23 प्रार्थनापत्रों का विवरण परिषिष्ट **"झ"** में दिया गया है।

परिशिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को पुकारने पर क्रमांक–17 पर वर्णित प्रार्थी श्री प्रवीण कुमार,, पुत्र श्री वेद प्रकाष निवासी रेडापुर, सहसपुर, देहरादून ही प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित हुऐ। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उनको एक स्थाई सवारी गाडी परमिट पांच वर्ष की अवधि के लिये सामान्य शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाय।

स्वीकृत परमिट दिनांक 31.08.10 तक नई वाहनं के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाय। उसके उपरान्त स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी। परिषिष्ट में उल्लिखित शेष प्रार्थनापत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

पुकारने पर अन्य कोई प्रार्थी प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः 01 रिक्ति को आगामी बैठक के लिये सुरक्षित रखा जाय।

(9) प्रेमनगर–चौकी धौलास तथा सम्बन्धित मार्ग–

इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 02 परमिटों की संख्या बढाई जाने की संस्तुति की है। मार्ग पर सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त–10 प्रार्थनापत्रों का विवरण परिषिष्ट "**ट**" में दिया गया है।

पुकारने पर कोई भी आवेदक प्राधिकरण के सम्मुख उपस्थित नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि इस मार्ग पर कोई भी आवेदक परमिट लेने का इच्छुक नहीं है। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि परिषिष्ट में उल्लिखित प्रार्थना पत्रों को अस्वीकृत किया जाय।

(10) आई0एस0बी0टी0–परेडग्राउन्ड–सहस्त्रधारा मार्ग–

प्रबन्ध निदेषक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने पत्र संख्या–1111/एचक्यू/संचालन–।।/10 दिनांक 25.6.10 द्वारा उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरूद्ध आपत्ति करते हुए कहा गया है कि देहरादून–सहस्त्रधारा मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग के किसी भाग में निजी क्षेत्र की बस सेवा संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त मार्ग पर निगम द्वारा जेएनएनएयूआरएम योजना के अन्तर्गत नगर बसें चलाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर यदि प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी किये जाते हैं तो पहले परिवहन निगम को वाहन संचालन के लिये कहा जाय। यदि परिवहन निगम इस मार्ग पर बस संचालन न करे तो निजी आपरेटरों को बस संचालन हेतु परमिट दिये जायें।

प्राधिकरण को बताया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून–सहस्त्रधारा मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित नहीं है। परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर संचालित नगर बस सेवा वर्ष 1996 के उपरान्त बन्द कर दी गई थी। षासन द्वारा मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–102 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण की योजना में अधिसूचना संख्या–2134/30 –2–94–240/94 दिनांक 05.08.94 द्वारा संषोधन किया गया था । इस अधिसूचना में अन्य नगरों के साथ–2 देहरादून नगर में भी 20 किमी0 अर्धब्यास के भीतर (विषेष परिस्थितियों में 25 किमी0 अर्धब्यास में) निजि क्षेत्र की बसों द्वारा सडक परिवहन निगम के साथ–साथ निजी नगर बस सेवा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण की अधिसूचना में संषोधन हो जाने के पष्चात ही उपरोक्त मार्ग पर निजी नगर बस सेवा परमिट जारी किये गये है।

इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति द्वारा 04 परमिटों की संख्या बढाये जाने की संस्तुति की है। मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त–97 प्रार्थना पत्रों के विवरण परिषिष्ट– "ठ" में दिया गया है। तथा दो प्रार्थना पत्रों का विवरण अनुपुरक सूची में दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा परिषिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। प्राधिकरण के समक्ष 04 प्रार्थी ही उपस्थित हुऐ।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मार्ग पर परिवहन निगम से भी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ले लिये जायें एवम् प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन रिक्तियों के सापेक्ष परमिट देने पर विचार किया जायेगा, जिसमें परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्थगित किया जाता है तथा इन प्रार्थना पत्रों को परिवहन निगम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(11) <u>राजपुर–क्लेमेन्टाउन मार्ग–</u>

प्रबन्ध निदेषक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने पत्र संख्या–1111/एचक्यू/संचालन–।।/10 दिनांक 25.6.10 द्वारा उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरूद्ध आपत्ति करते हुए कहा गया है कि देहरादून–क्लेमेन्टाउन मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग के किसी भाग में निजी क्षेत्र की बस सेवा संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त मार्ग पर निगम द्वारा जेएनएनएयूआरएम योजना के अन्तर्गत नगर बसें चलाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर यदि प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी किये जाते हैं तो पहले परिवहन निगम को वाहन संचालन के लिये कहा जाय। यदि परिवहन निगम इस मार्ग पर बस संचालन न करे तो निजी आपरेटरों को बस संचालन हेतु परमिट दिये जायें।

प्राधिकरण को बताया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून–क्लेमेन्टाउन मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित नहीं है। परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर संचालित नगर बस सेवा वर्ष 1996 के उपरान्त बन्द कर दी गई थी। षासन द्वारा मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–102 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण की योजना में अधिसूचना संख्या–2134/30–2–94–240/94 दिनांक 05.08.94 द्वारा संषोधन किया गया था । इस अधिसूचना में अन्य नगरों के साथ–2 देहरादून नगर में भी 20 किमी0 अर्धब्यास के भीतर (विषेष परिस्थितियों में 25 किमी0 अर्धब्यास में) निजि क्षेत्र की बसों द्वारा सडक परिवहन निगम के साथ–साथ निजी नगर बस सेवा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण की अधिसूचना में संषोधन हो जाने के पष्चात ही उपरोक्त मार्ग पर निजी नगर बस सेवा परमिट जारी किये गये है।

इस मार्ग पर संयुक्त सर्वेक्षण समिति के दो सदस्यों द्वारा मार्ग पर 04 परमिट जारी करने की संस्तुति की गई है। परन्तु तीसरे सदस्य पुलिस अधीक्षक यातायात ने यह टिप्पणी की है कि अत्यधिक व्यस्त मार्ग होने के कारण केवल दो बसों के परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त–77 प्रार्थनापत्रों के विवरण परिषिष्ट "**ड**" में दिया गया है तथा एक प्रार्थना पत्र अनुपुरक सूची में उल्लेखित है। प्राधिकरण द्वारा परिषिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। प्राधिकरण के समक्ष 02 प्रार्थी ही उपस्थित हुऐ।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मार्ग पर परिवहन निगम से भी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ले लिये जायें एवम् प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन रिक्तियों के सापेक्ष परमिट देने पर विचार किया जायेगा, जिसमें परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्थगित किया जाता है तथा इन प्रार्थना पत्रों को परिवहन निगम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

(12) <u>परेड ग्राउन्ड–सेलाकुई वाया प्रिन्स चौक–सहारनपुर चौक–कांवली रोड मार्ग–</u>

देहरादून नगर में वर्ष 1996 से पूर्व परिवहन निगम द्वारा नगर बस सेवा संचालित की जा रही थी। निगम द्वारा वर्ष 1996 में नगर बस सेवा बन्द कर दिये जाने के पष्चात प्राधिकरण द्वारा देहरादून नगर में निजी नगर बस सेवा चलाने हेतु 14 मार्गो को वर्गीकृत किया गया था, जिसमें देहरादून–सेलाकुई मार्ग भी सम्मिलित था। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा वर्गीकृत मार्गो का अनुमोदन करने हेतु कार्यालय के पत्र सं0–2772/आरटीए/नौ–37/98 दिनांक 01.07.98 द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण से अनुरोध किया गया था। सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तर प्रदेष लखनऊ के पत्र सं0–1672/एसटीए/स्टैज/99 दिनांक 13.05.99 द्वारा अवगत कराया गया था कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ0प्र0 के पद सं0–13 पर प्राधिकरण ने विचारोपरान्त इन मार्गों को वर्गीकरण का अनुमोदन कर दिया था।

अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएषन उत्तराखण्ड ने सूचित किया था कि सेलाकुई क्षेत्र में अनेक औधोगिक इकाईयां स्थापित हो जाने के कारण यहॉ पर फैक्ट्री के कर्मचारियों को डयूटी पर आने तथा वापस जाने हेतु कोई यातायात व्यवस्था नहीं होने के कारण परेषानियों का सामना करना पडता है। उनके द्वारा देहरादून से सेलाकुई तक नगर बस सेवा चलाने की मांग की गई थी।

पूर्व सैनिक –असैनिक जनकल्याण एवम् ग्राम सुधार समिति हरिपुर, सेलाकुई ने अपने पत्र सं0–50 दिनांक 06.11.09 द्वारा अवगत कराया है कि इस मार्ग पर डाकपत्थर मोटर आनर्स यूनियन की बसों में बैठने की तो क्या धुसने की जगह भी नहीं मिलती कई बार दफ्तर/कालेज जाने वालों को अनावष्यक अवकाष करना पडता है। इन बसों में भेड–बकरियों की तरह ठुंसे जाने के लिये आम जनता बेबस है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि डाकपत्थर वाली बसें आईएसबीटी तक जाती हैं, जबकि 80 प्रतिषत लोगों को दफ्तर, कालेज अथवा बाजार जाना पडता है। जिसके कारण उन्हें प्रेमनगर से दूसरी बस अथवा टैम्पो आदि का सहारा लेना पडता है। उन्होंने सेलाकुई से परेड ग्राउन्ड, देहरादून तक के लिये नगर बस सेवा चलाने की प्रार्थना की है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून ने अपने पत्र सं0–5300/प्रवर्तन/मार्ग सर्वेक्षण/06 दिनांक 06.12.06 द्वारा सूचित किया था कि प्रष्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 23 किमी0 है। मार्ग का सहारनपुर चौक से कांवली रोड होते हुए बल्लीवाला चौक तक संकरा होने के कारण मार्ग पर 133 इंच व्हीलबेस की छोटी बसें चलाई जानी उपयुक्त होंगी। उन्होंने अपनी आख्या में यह भी कहा है कि वर्तमान में सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न उद्योग खुल गये हैं एवं कुछ फैक्टरियों का निर्माण भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त सेलाकुई क्षेत्र में विभिन्न षिक्षण संस्थान भी खुल गये हैं, जिससे उक्त क्षेत्र की जनसंख्या भी बढी है तथा यात्रियों की संख्या में भी वृद्वि हुयी है। शहर के विभिन्न स्थानों से आने वाले छात्रों व अन्य यात्रियों को कई वाहनें बदलकर प्रेमनगर, बल्लीवाला चौक, बल्लूपुर आदि स्थानों से विकासनगर मार्ग की बसों को पकडना पडता है, जिनमें काफी भीड होती है तथा यात्रियों को अत्यधिक मंहगा भी पडता है। इसी प्रकार विकासनगर आदि स्थानों से शहर आने वाली लम्बी दूरी की बसें उक्त स्थानों तक आते–आते भर जाती हैं, जिससे फैक्ट्री कर्मियों तथा छात्रों को अत्यधिक कठिनाई होती है तथा उन्हें कई वाहनें भी बदलती पडती है। अतः जनहित में उक्त मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित किया जाना लाभप्रद होगा। उनके द्वारा मार्ग पर 8 परमिट दिये जाने की संस्तुति की गई थी।

श्री दानवीर सिंह नेगी, पुत्र जे0 एस0 नेगी ने अपने पत्र दिनांक 18.06.10 द्वारा सूचित किया है कि मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व याचिका सं0–2047/एमएस/07 दायर की गयी थी। मा0उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने के कारण प्रष्नगत मार्ग पर परमिट जारी नहीं हो पा रहे थे। इस याचिका श्री दानवीर सिंह नेगी, तथा सर्व श्री महेषपाल मैनी, कुलिन्दर, स्वाति ठाकुर, ओम प्रकाष, श्री मोहन सिंह, श्रीमती संगीता देवी तथा अनूप कुमार प्रतिवादी बने थे। और उनके द्वारा उक्त याचिका

में पैरवी करने के पष्चात मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज किया गया है। उन्होंने निवेदन किया है कि उनको प्रष्नगत मार्ग पर परमिट जारी करने की कृपा करें।

देहरादून–सेलाकुई मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व देहरादून–डाकपत्थर मार्ग के आपरेटरों द्वारा याचिका सं0–1562/एमएस/06 तथा 2047/एमएस/07 दायर की गयी थी, जो मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.12.08 में इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को मा0 उच्च न्यायालय में याचिका गतिमान होने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

श्री शहजाद अली पुत्र श्री नूर हसन निवासी शंकरपुर रामपुर देहरादून ने भी उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरुद्व आपत्ति की है कि जब तक उनके प्रत्यावेदन का निस्तारण नहीं किया जाता है तब तक मार्ग पर नये परमिट स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

प्रबन्ध निदेषक उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून ने पत्र संख्या–1111/एचक्यू/संचालन–।।/10 दिनांक 25.6.10 द्वारा उपरोक्त मार्ग पर परमिट जारी करने के विरूद्ध आपत्ति करते हुए कहा गया है कि देहरादून–प्रेमनगर तक मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है। इस मार्ग के किसी भाग में निजी क्षेत्र की बस सेवा संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उक्त मार्ग पर निगम द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत नगर बसें चलाया जाना प्रस्तावित है।उन्होंने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होकर कहा कि राष्ट्रीयकृत मार्ग पर यदि प्राधिकरण द्वारा परमिट जारी किये जाते हैं तो पहले परिवहन निगम को वाहन संचालन के लिये कहा जाय। यदि परिवहन निगम इस मार्ग पर बस संचालन न करे तो निजी आपरेटरों को बस संचालन हेतु परमिट दिये जायें।

प्राधिकरण को बताया गया कि वर्तमान में उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा देहरादून–प्रेमनगर तक मार्ग पर नगर बस सेवा संचालित नहीं है। परिवहन निगम द्वारा इस मार्ग पर संचालित नगर बस सेवा वर्ष 1996 के उपरान्त बन्द कर दी गई थी। षासन द्वारा मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–102 के अन्तर्गत राष्ट्रीयकरण की योजना में अधिसूचना संख्या–2134/30–2–94–240/94 दिनांक 05.08.94 द्वारा संषोधन किया गया था । इस अधिसूचना में अन्य नगरों के साथ–2 देहरादून नगर में भी 20 किमी0 अर्धब्यास के भीतर (विषेष परिस्थितियों में 25 किमी0 अर्धब्यास में) निजि क्षेत्र की बसों द्वारा सडक परिवहन निगम के साथ–साथ निजी नगर बस सेवा चलाने की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण की अधिसूचना में संषोधन हो जाने के पष्चात ही उपरोक्त मार्ग पर निजी नगर बस सेवा परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त–228 प्रार्थनापत्रों का विवरण परिषिष्ट ढ में दिया गया है, इसके अतिरिक्त 11 प्रार्थना पत्रों का विवरण अनुपुरक सूची में उल्लेखित है। प्राधिकरण द्वारा परिषिष्ट में उल्लिखित प्रार्थियों को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने के लिये बुलाया गया। प्राधिकरण के समक्ष 10 प्रार्थी ही उपस्थित हुऐ।

प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस मार्ग पर परिवहन निगम से भी परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र ले लिये जायें एवम् प्राधिकरण की आगामी बैठक में इन रिक्तियों के सापेक्ष परमिट देने पर विचार किया जायेगा,, जिसमें परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को स्थगित किया जाता है तथा इन प्रार्थना पत्रों को परिवहन निगम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

यह भी निर्णय लिया गया कि संकल्प संख्या–5 वर्णित मार्गो पर अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को जो परमिट स्वीकृत जारी किये गये है, उन परमिटों को अनुसूचित जाति के ही अभ्यर्थी को हस्तान्तरित किया जा सकेगा। ऐसे परमिट अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी को हस्तान्तरित नहीं किये जायेंगें।

संकल्प संख्या–6:–

मद संख्या–6 के अन्तर्गत मसूरी नगर क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों के आवागमन हेतु नगर बस सेवा मार्ग निर्धारित करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद,मसूरी द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को सम्बोधित पत्र दिनांक 18.5.09 के सन्दर्भ में इस मामले को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में मद संख्या–15 ''अ'' के अन्तर्गत निम्न्लिखित् दो मार्गो को वर्गीकृत करने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया था।

1– झडीपानी से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रषासनिक अकादमी–किंक्रेग–पिक्चर पैलेस मार्ग–21 किमी0

2– सुआखोली से झडीपानी वाया टिहरी बाईपास मार्ग–24 किमी0

प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 12.11.09 में उक्त प्रकरण पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया था कि मार्ग पर परमिट स्वीकृत करने के पूर्व यह स्पष्ट होना आवष्यक है कि माल रोड पर इन वाहनों के संचालन हेतु क्या व्यवस्था रहेगी एवम् इससे यातायात नियंत्रण सम्बन्धी कोई समस्या तो नहीं होगी। प्राधिकरण ने इस मद पर यह निर्णय लिया था कि मार्गों का पुनः सर्वेक्षण कराकर आख्या प्रेषित की जाय।

प्राधिकरण के इन आदेषों के अनुपालन में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून ने अपने पत्र दिनांक 01.04.10 द्वारा मार्गो का सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रेषित की है कि उक्त दोनों मार्ग माल रोड से होते हुए नहीं गुजरते हैं, जिस कारण मार्गो पर बसों के संचालन की कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि इन मार्गो पर 156 इंच व्हीलबेस की बसें संचालित हो सकती हैं।

प्रबन्ध निदेषक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम ने बैठक में उपस्थित होकर झडीपानी से लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी– किंक्रेग–पिक्चर पैलेस मार्ग के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए कहा कि यह मार्ग देहरादून–मसूरी राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है। इस मार्ग पर निजी संचालकों को परमिट नहीं दिये जा सकते हैं। इस मार्ग पर परिवहन निगम स्वयं वाहन संचालन करना चाहता है।

यदि नगर पालिका सहमत हो तो वह उत्तराखण्ड परिवहन निगम के अनुबन्ध में इस मार्ग पर बस संचालन कर सकती है। उन्होने बैठक में यह भी कहा कि सुआखोली से झडीपानी वाया टिहरी बाईपास मार्ग पर परिवहन निगम को निजी बस सेवा संचालन में कोई आपत्ति नहीं है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि निम्नलिखित मार्गो को मसूरी में नगर बस सेवा चलाने हेतु क श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–68(3)(ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

1– झडीपानी से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रषासनिक अकादमी–किंक्रेग–पिक्चर पैलेस मार्ग–21 किमी0
2– सुआखोली से झडीपानी वाया टिहरी बाईपास मार्ग–24 किमी0

,

<u>संकल्प सं0–7</u>

<u>(अ)–</u> इस मद के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग के परमिटों को नगर बस परमिटों में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। प्रधान/सचिव, रायपुर बस आपरेटर यूनियन देहरादून ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 05.06.10 द्वारा सूचित किया है कि "वर्तमान में इनके मार्ग पर 14 स्थाई सवारी परमिट वैध हैं। देहरादून से रायपुर तक उनके मार्ग को 40 सिटी बसों द्वारा ओवरलेप किया जाता है, जिसमें से कुछ बसें प्रेमनगर–रायपुर मार्ग की हैं तथा कुछ बसें बंजारावाला–गुलरधाटी मार्ग की हैं। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है कि एक ही मार्ग पर दो तरह की बसों का संचालन होने से आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे दुर्धटना होने की सम्भावना होती है। उन्होंने निवेदन किया है कि मद में वर्णित तथ्यों के आधार पर उनके मार्ग के परमिटों को नगर बस सेवा परमिटों में परिवर्तित कर दिया जाय"।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि संयुक्त सर्वेक्षण समिति के माध्यम से उक्त मार्ग का सर्वे कराकर यह आख्या प्राप्त की जाय कि वर्तमान में उक्त मार्ग पर नगर बस वाहन मानकों के अनुरुप कितनी बसों की आवष्यकता होगी ? यह भी निर्णय लिया गया कि निर्धारित रिक्तियों पर मार्ग के वर्तमान परमिट धारकों को प्राथमिकता दी जायेगी। उपरोक्त मार्ग का सर्वेक्षण संयुक्त सर्वेक्षण समिति से कराया जाय तथा आख्या प्राप्त की जाय कि मार्ग पर कितने व्हीलबेस की वाहनें संचालित हो सकती हैं तथा मार्ग पर कितने परमिट जारी किये जा सकते हैं।

(ब)– इस मद के अन्तर्गत देहरादून–रायपुर–मालदेवता मार्ग का विस्तार पीपीसीएल तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया हैं। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रस्तुत की है कि पीपीसीएल तक बसों का संचालन किया जा सकता है। मालदेवता से पीपीसीएल तक मार्ग की दूरी 3.2 किमी0 है। मार्ग पक्का है तथा बसों के संचालन हेतु उपयुक्त है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मार्ग पर संचालित 166 इंच व्हीलबेस की बसों के परमिटों में मालदेवता से पीपीसीएल मार्ग का पृष्ठांकन कर दिया जाय।

संकल्प सं0–8–

इस मद के अन्तर्गत सीमाद्वार–नालापानी मार्ग का विस्तार बसंत बिहार चौक से पंडितवाडी पुलिस चौकी तक करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात अपने पत्र दिनांक 17.12.09 द्वारा आख्या प्रस्तुत की है कि बंसत बिहार चौक से पंडितवाडी तक, जिसकी दूरी लगभग 2 किमी0 है, कोई नगर बस अथवा विक्रम टैम्पो सेवा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सीमाद्वार–नालापानी मार्ग में उक्त मार्ग का पृष्ठांकन करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि पंडितवाडी क्षेत्र की जनता को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सीमाद्वार–नालापानी मार्ग का विस्तार बंसत बिहार चौक से पंडितवाडी पुलिस चौकी तक करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संकल्प सं0–9–

इस मद के अन्तर्गत जीप ट्रैकर वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में चलाने हेतु निर्मित किये गये मार्गों पर स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 20.11.04 में मद सं0–18 के अन्तर्गत जीप ट्रैकर वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में चलाने हेतु निम्नलिखित मार्गो को "**क**" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि इन वाहनों के लिये नीला रंग निर्धारित किया जाता हैं तथा परमिट जारी करते समय वाहन 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी तथा वाहन अधिकतम 20 वर्ष की आयुसीमा तक संचालित हो सकेगी। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया था कि शासन द्वारा मार्ग निर्धारित हो जाने के पष्चात मैक्सी कैब परमिटों पर संचालित वाहनों को जारी स्थाई परमिट जमा करने के पष्चात ही इन वाहनों को सवारी गाडी परमिट जारी किये जायेंगे।

मार्गो के नाम :–

क्र0सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की लम्बाई	मार्ग पर निर्धारित सेवायें
1	प्रेमनगर– नन्दा की चौकी – पौधा– विधौली – डुंगा– भाऊवाला – सुघोवाला–प्रेमनगर–	30 किमी0	20 वापसी सेवायें।
2	प्रेमनगर–सहसपुर	18 किमी0	10 वापसी सेवायें।
3	प्रेमनगर–सेलाकुई–भाऊवाला–डुंगा।	25किमी0	20 वापसी सेवायें
4	सहसपुर–कोटडा–	18 किमी0	10 वापसी सेवायें।
5	सहसपुर–षंकरपुर–कैंचीवाला–रामसावाला–जूनो–भाऊवाला	12 किमी0	15 वापसी सेवायें।

मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा–68(3)(सी–ए) प्राविधानों के अनुसार शासन की अधिसूचना संख्या–10/नौ/229/2009 दिनांक 13.01.09 द्वारा उपरोक्त मार्गो को मंजिली गाडी मार्ग के रुप में निर्मित किया गया है। शासन की इस अधिसूचना के विरुद्व मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–1750/09 तथा कुछ अन्य याचिकायें दायर होने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में मामले पर विचार किया जाना स्थगित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेष दिनांक 09.02.10 द्वारा इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग के आपरेटरों की ओर से श्री मो0 इकबाल तथा एम0एन0 इकबाल ऐडवोकेट द्वारा आपत्ति की गई है कि प्रष्नगत मार्ग देहरादून–डाकपत्थर मार्ग के भाग हैं। इन मार्गान्षों पर अलग से परमिट दिया जाना उचित नहीं है। उन्होंनें यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में एक याचिका भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

प्राधिकरण द्वारा जीप ट्रैकर वाहनों को स्टैज कैरेज के रुप में चलाने हेतु अलग–अलग मार्ग वर्गीकृत किये गये थे तथा प्रत्येक मार्ग पर अलग–अलग सेवाओं का संचालन निर्धारित किया गया था। शासन द्वारा भी मंजिली गाडी के लिये पांच मार्ग निर्मित किये गये हैं। परन्तु मैक्सी कैब वाहन स्वामियों ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि प्रष्नगत मार्ग छोटे–2 मार्ग है और इन मार्गो में कुछ मार्ग अलाभकारी हैं।अलग–2 मार्गो के लिए अलग–2 परमिट जारी करने पर वाहनों का संचालन अलाभकारी होगा।

उन्होंनें निवेदन किया कि पांचों मार्गो को एक सूची में सम्बद्ध करते हुए एक मार्ग सूची बना दी जाय और इस मार्ग सूची के लिए एक ही परमिट जारी किया जाय।

वाहन स्वामी द्वारा की गई प्रार्थना पर विचारोपरान्त प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि, शासन द्वारा निर्मित उपरोक्त पांचों मार्गो का एक सेट बनाया जाय। तथा इन पर वाहनों को रोटेषन से संचालित किया जाय । इससे एक ओर सभी मार्गो पर पर्याप्त सेवायें उपलब्ध होंगी और जनता को आवागमन में सुविधा होगी तथा परिवहन व्यवसायियों को संचालन के लिए ऐसी पर्याप्त दूरी उपलब्ध होगी जिससे इन मार्गो पर वाहनों का संचालन Viable हो सकेगा । इस मार्ग पर 51 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, सभी आवेदक इस क्षेत्र में मैक्सी कैब वाहनों का संचालन कर रहे हैं।

इन सभी आवेदकों को एक–2 सवारी गाडी परमिट उक्त मार्गो के लिए इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाते हैं कि वाहन स्वामी अपनी वाहनों के लिए पूर्व में जारी मैक्सी कैब परमिटों को निरस्त करने हेतु जमा करायेंगें तथा सभी वाहनें रोटेषन से संचालित की जायेगीं। स्वीकृत परमिट 10 वर्ष से कम पुरानी वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.08.10 तक जारी किये जायेंगें। उसके उपरान्त स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। परमिट धारक वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में समय सारणी बनाकर प्रस्तुत करेंगें, जिसे प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–10–

मद सं0–10 के अन्तर्गत गढवाली कालोनी–निर्वाचन आयोग–आर्य समाज चौक–अम्बीवाला गुरुद्वारा–बद्रीष कालोनी –अपर राजीव नगर क्षेत्र को नगर बस सेवा से जोडने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। श्री दौलत राम सेमवाल सदस्य राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद, उत्तराखण्ड ने श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मा0 मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 24.11.09 द्वारा सूचित किया है कि, परेड ग्राउन्ड से रिस्पना पुल–जोगीवाला के लिये प्रत्येक 10 मिनट में बस सेवा उपलब्ध है। नई प्रस्तावित बस सेवा को परेड ग्राउन्ड से अपर नेहरु कालोनी(तेग बहादुर रोड)–अपर राजीव नगर–बद्रीष कालोनी–अम्बीवाला गुरुद्वारा–6 नं0 पुलिया–अपर नत्थनपुर किददुवाला–रायपुर रुट पर चलाया जाय, ताकि क्षेत्र के निवासियों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

इस सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात अपनी आख्या उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 09.04.10 द्वारा मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात अपनी आख्या प्रेषित की है। उन्होंने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात सुझाव दिया है कि मियांवाला से बालावाला होते हुए गुजरोवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किददुवाला–नत्थनपुर–नेहरु ग्राम–राजीव नगर–बलबीर रोड–ई0सी0रोड होते हुए सर्वे चौक–परेड ग्राउन्ड तक छोटी जीप प्रकार के वाहनों के संचालन हेतु मार्ग उपयुक्त है। इस मार्ग की लम्बाई 15.5 किमी0 है। उन्होंने सर्वेक्षण आख्या में यह कहा है कि इस मार्ग पर सेवा प्रारम्भ करने से मियांवाला–तुनवाला–बालावाला–नथुवावाला–गुजरोवाली–केषव बिहार–नाजीवाला–किददूवाला–नेहरु ग्राम–नत्थनपुर–गढवाली कालोनी–निर्वाचन आयोग–राजीव नगर डांडा–बद्रीष कालोनी– बलबीर मार्ग–ई0सी0रोड क्षेत्र की जनता को लाभ होगा। उन्होंने इस मार्ग पर जीप प्रकार की छोटी वाहनों के दस परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि छोटी जीप प्रकार की वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालित करने हेतु मियांवाला से बालावाला होते हुए गुजरोवाली चौक–तुनवाला–नाजीवाला–किददुवाला–नत्थनपुर–नेहरु ग्राम–राजीव नगर–बलबीर रोड–ई0सी0रोड होते हुए सर्वे चौक–परेड ग्राउन्ड मार्ग निर्धारित किया जाता है। मार्ग ''ए'' क्लास में वर्गीकृत किया जाता है तथा इस मार्ग पर छोटी जीप प्रकार की वाहनों को 10 ठेका गाडी परमिट जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र आंमत्रित किये जायें तथा प्रार्थना पत्रों को आगामी बैठक में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

संकल्प सं0–11–

मद सं0–11 के अन्तर्गत टिहरी तथा उत्तरकाषी जनपदों में नवनिर्मित मोटर मार्गो को यातायात के लिये खोलने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मार्गो के सम्बन्ध में प्रस्तुत सर्वेक्षण आख्या का अवलोकन करने के पष्चात प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि निम्नलिखित नवनिर्मित मोटर मार्गो को यातायात के लिये खोल दिया जाय। इन मार्गो का पृष्ठांकन मार्ग सूची सं0–1 के परमिटों में कर दिया जाय।

टिहरी जनपद के मार्ग–

1– षिवपुरी–तिमली मोटर मार्ग–15 किमी0
2– विनकखाल–भिनुक मोटर मार्ग–5.5 किमी0
3– सरकण्डा–गोवा मोटर मार्ग–3 किमी0
4– विनकखाल–भैंती मोटर मार्ग–2.7 किमी0

जनपद उत्तराकाषी में नवनिर्मित मोटर मार्ग गंगोरी–नाल्ड का सर्वेक्षण करने के पष्चात सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाषी ने मार्ग को यातयात के लिए खोलने की संस्तुति की है। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मार्ग को यातायात के लिये खोल दिया जाय तथा इस मार्ग का पृष्ठांकन मार्ग सूची–04 के परमिट में कर दिया जाय।

संकल्प सं0–12–

मद सं0–12 के अन्तर्गत 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों का संचालन ठेका गाडी के रुप में करने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 के संकल्प सं0–17 तथा अनुपुरक संकल्प सं0–6(अ) तथा 6(ब) द्वारा जनपद देहरादून के कुछ मार्गो को 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालित करने के लिये वर्गीकृत किये गये थे तथा प्राधिकरण ने आदेष पारित किये थे कि मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68(3)(ग–क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार इन मार्गो को **"क"** श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण के माध्यम से शासन को मार्ग निर्मित करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

प्राधिकरण द्वारा पारित आदेषों के अनुपालन में ठेका गाडी वाहनों के संचालन हेतु मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध में राज्य परिवहन प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने सूचित किया है कि मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 68(3)(ग–क) में ठेका गाडी के लिये मार्ग निर्धारण के लिये कोई प्राविधान नहीं है।

उपरोक्त प्रकार हल्की वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालन हेतु मार्ग निर्मित करने के विरुद्व श्री प्रषान्त जायसवाल पुत्र श्री हरि किषोर 497 खुडबुडा देहरादून जो देहरादून–विकासनगर–डाकपत्थर मार्ग के आपरेटर हैं उन्होने आपत्ति की है कि मार्ग पर कोई स्थाई परमिट स्वीकृत न करे।

प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि मोटर गाडी अधिनियम 1988 की धारा 74(2)(1) में यह प्राविधान है कि यदि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण यह विनिष्चय करता है कि ठेका गाडी परमिट दिया जाय तो वह इन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए यन का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा विनिर्दिष्ट मार्ग पर चलने के सम्बन्ध में शर्त लगा सकता है।

प्राधिकरण ने उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि धारा 74(2)(1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार निम्नलिखित मार्गो को हल्की वाहनों को ठेका गाडी के रुप में संचालित करने हेतु क श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

जनपद देहरादून के मार्ग–

क्र0सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी किमी में	निर्धारित परमिटों की संख्या
1.	बुल्लावाला–झबरावाला–डोईवाला–भानियावाला–लालतप्पड़	16	10
2.	खैरी–धर्मूचक–लालतप्पड़	17	10
3.	नकरौंदा–हर्रावाला–जोगीवाला–नेहरूग्राम–अजबपुर–डाण्डा–नेहरूकालोनी–सुभाष रोड–राजपुर	20	10
4.	विकासनगर –लांघा वाया अम्बाड़ी–बरोटी वाला	20	10
5.	हरर्बटपुर–धर्मावाला–कुंजाग्राण्ट–कुल्हाल	20	10
6.	हरबर्टपुर–सहसपुर–सेलाकूई–हरिपुर–बहादुरपुर–प्रेमनगर	33	10
7.	विकासनगर–बरोटीवाला–सहसपुर–सेलाकुई	20	10
8.	जुड्डो–हथियारी–विकासनगर–वाया लांघा	25	10
9.	बिष्ट गांव–मंगौल पंडित वाड़ी–गजियावाला–सप्लाई–आईएसबीटी	16	10
10	प्रेमनगर–चौकी धैलास	18	10
11.	अनारवाला –नया गांव–हाथीबड़कला–परेडग्राउण्ड–ईसी रोड–आईएसबीटी	17	10
12.	प्रेमनगर –गोरखपुर–बड़ौंवाला–षिमलावाईपास–आईएसबीटी	13	10

13.	विकासनगर–हरबर्टपुर–गुडरिच–पृथ्विपुर–लक्ष्मीपुर–सहसपुर–सेलाकूई	21	10
14.	विकासनगर–तौली–पपड़ियान–लांघा–सहसपुर–हरबर्टपुर वाया नौरोपुल	23	10
15	हरबर्टपुर–धर्मावाला–सभावाला	18	10
16	कालसी–अम्बाड़ी–मेहूवाला–पृथ्वीपुर–बरोटीवाला–सहसपुर–सेलाकूई	26	10
17	सैन्य कालोनी–नीलकंठ विहार–कालीदास चौक(पथरिया पीर)–आईएसबीटी–दून विष्वविद्यालय वाया दिलाराम–प्रिंस चौक–सहारनपुर चौक–बाई पास रोड	16	20

18	आईएसबीटी–मेहूवाला–हरभजवाला	9.5	10
19	मियांवाला–तुनवाला–रायपुर–सर्वेचौक–परेडग्राउण्ड	11	10
20	सांई मंदिर–कैनाल रोड–किषनपुर–साकेत कॉलोनी'–ग्रेट वैल्यू होटल–सचिवालय–ई0सी0 रोड–आराघर–रिस्पना–केदारपुरम–दून विष्वविद्यालय–मोथरोवाला	18	10
21	डिफेंस कॉलोनी–आराघर–सीएमआई–सुभाष रोड–परेडग्राउण्ड–सेंट जोजफ स्कूल–सचिवालय–हाथीबड़कला–सर्किट हाउस–मिलिट्री हॉस्पिटल–डाकरा बाजार(षिव मंदिर)	14	10
22	डूंगा–पैट्रोलियम यूनिवर्सिटी–विषनपुर–पौंधा–कोल्हूपानी–प्रेमनगर	13.05	10
23	बसंत विहार–बल्लीवाला चौक–कांवली रोड–सहारनपुर चौक–रेलवे स्टेषन–प्रिंस चौक–दर्षनलाल चौक–पवेलियन–कनक चौक–सर्वेचौक–सहस्रधारा क्रॉसिंग–नालापानी चौक–मयूर विहार–मंदाकिनी विहार–आईटी पार्क– गुजराड़ा–तिब्बती कॉलोनी–मसूरी बाईपास	14	10
24	रेलवे स्टेषन–प्रिंस चौक–दर्षनलाल चौक–परेडग्राउण्ड–सर्वेचौक–सहस्रधारा क्रॉसिंग–लाडपुर–रायपुर	8.5	10
25	रेलवे स्टेषन–सहस्रधारा वाया प्रिंस चौक–घंटाघर–एस्लेहॉल–दिलाराम–सांईमंदिर – मसूरी डायवर्जन रोड	16.9	10
26	रेलवे स्टेषन–प्रेमनगर–ठाकुरपुर वाया–सहारनपुर चौक	12.5	10

27	गढ़ीकैण्ट–क्लेमेटाउन वाया बल्लुपुर चौक–बल्लीवाला चौक–कांवली रोड–सहारनपुर चौक–रेलवे स्टेषन–सहारनपुर चौक–पटेलनगर–आईएसबीटी–सुभाष नगर	13	10
28	परेडग्राउण्ड–सेलाकूई वाया प्रिंस चौक–कांवली रोड–बल्लीवाला चौक–बल्लुपुर चौक–प्रेमनगर	23	10
29	आईएसबीटी–रिस्पना–जोगीवाला–नेहरूग्राम–किद्दूवाला–रायपुर–रांझावाला मार्ग एवं रायपुर–नेहरूग्राम–मोहकमपुर–आईएसबीटी मार्ग	14	10

जनपद हरिद्वार के मार्ग–

क0 संख्या	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी किमी में	परमिट जारी करने की संस्तुति
1.	पंतजली योग पीठ बहादराबाद–पुल जटवाड़ा–ज्वालापुर–सिंहद्वार–नया हरिद्वार–रेलवे स्टेषन	18	10
2.	बहादराबाद–षिवालिकनगर–चिनमय डिग्री कॉलेज–सिडकुल–रोषनाबाद	15	10
3.	रेलवे स्टेषन/रोडवेज–षिवमूर्ति–ललतारावपुल–चण्डी मंदिर रोपवे–गौरी शंकर मंदिर–नीलेष्वर महोदव	10	10
4.	पंतजली योग पीठ–रूड़की–रूड़की इंजीनियरिंग कॉलेज–रूड़की एस0डी0एम0 चौक	16	10
5.	रूड़की–भगवानपुर–उत्तराखण्ड बॉर्डर तक	22	10
6.	रूड़की पुहाना–झबरेड़ी–इकबालपुर	15	10
7.	रूड़की–नारसन–उत्तराखण्ड बॉर्डर	25	10
8.	दक्षदीप पार्किंग–कनखल चौक–पहाड़ी बाजार–बंगाली मोड–जगतगुरू आश्रम–षंकराचार्य चौक द्वारा डामकोठी–देवीपुरा चौक–रेलवे स्टेषन व वापिस	12	10

9.	दक्षदीप पार्किंग–बूढ़ी माता–कृष्णानगर–सिंहद्वार–आर्यनगर–ज्वालापुर रेलव स्टेषन एवं वापिस	07	10
10.	ज्वालापुर रेलवे पुलिस चौकी–रेलवे स्टेषन–सेक्टर 2 इण्ड्रीस्ट्रीयल एरिया–रोषनाबाद–ललतारावपुल एवं वापिस	14	10
11.	थाना कनखल–रामदेव जी पुलिया–पंतजली योग पीठ–नहर के किराने हेतु नया हरिद्वार एस0एम0जे0एन0 कालेज रानीपुर मोड़–ऋषिकुल	15	10
12	दक्षदीप पार्किंग–षंकराचार्य चौक–चण्डी चौक–नील धारा पार्किंग–चण्डी देवी–रोपवे मार्ग–गौरी शंकर मंदिर–नीलेष्वर महादेव मंदिर	10	10
13	रायवाला–मोतीचूर पार्किंग–षांतिकुज–संस्कृति महाविद्यालय–सप्तऋषि आश्रम–भारत माता मंदिर–पावन धाम भीमवाड़ा	12	10
14.	मोतीचूर पार्किंग–संस्कृत महाविद्यालय शांतिकुज–दुधाधारी चौक–पावन धाम चौक–हर की पौड़ी बाई पास से चण्डीघाट चौक–ललतारावपुल षिवमूर्ति–रेलवे स्टेषन	14	10
15.	ऋषिकुल पार्किंग–देवपुरा चौक–रेलवे स्टेषन–षिवमूर्ति–डाम कोठी–चण्डी चौक हर की पौड़ी–पावन धाम चौक	11	10
16.	ऋषिकुल पार्किंग रानीपुर मोड़–एस0एम0जे0एन0 डिग्री कॉलेज चौक–षंकर आश्रम–आर्य नगर चौक–पुल जटवाड़ा ज्वालापुर	10	10
17.	रेलवे स्टेषन–ऋषिकुल पार्किंग–रानीपुर मोड़–टिबड़ी–बी0एच0ई0एल0–रोषनाबाद	16	10
18.	रेलवे स्टेषन–रानीपुर मोड़–सिंहद्वार–कनखल–जगजीतपुर–बादषाहपुर–सुल्तानपुर –लक्सर	35	10

उपरोक्त मार्गो पर 7/8 सीट तक की हल्की वाहनों को ठेका गाडी परमिट देने हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जायें। परमिटों के लिए आवेदन करने हेतु निम्नवत् शर्तें होंगी–

1–आवेदन उत्तराखण्ड के निवासी हों इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2–आवेदित क्षेत्र में रहने वालों को प्राथमिकता दी जायगी।
3–आवेदक के नाम पर अन्य कोई परमिट न हो।
4–आवेदक बेरोजगार हों।
5–उसके पास हल्की वाणिज्य वाहन चलाने का डी0एल0 हो।
6–परमिट को न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

संकल्प सं0–13–

(अ–ब) मद सं0–13 के अन्तर्गत देहरादून केन्द्र से बैठक दिनांक 12.11.09 में स्वीकृत आटोरिक्षा परमिटों को प्राप्त करने हेतु समय बढाने के प्रार्थनापत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण ने मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि मद में वर्णित निम्नलिखित प्रार्थियों को स्वीकृत आटोरिक्षा परमिट प्राप्त करने हेतु दिनांक 31.08.10 तक का समय पूर्व निर्धारित शर्तो के साथ स्वीकृत किया जाता है।

1–श्री नसीम अहमद पुत्र श्री मकबूल अहमद, 24 गांधी रोड देहरादून।
2– श्री शमषाद अहमद पुत्र मोहम्मद यासीन, 38/39, गांधी रोड देहरादून।
3– मो0 फरहान पुत्र श्री चुम्मन, 10–ए, नेमी रोड देहरादूनं।
4– श्री नूर मोहमद पुत्र श्री अली हसन 29/30 डिस्पेन्सरी रोड देहरादून।
5– श्री पवन कुमार पुत्र श्री सुरेष कुमार 137/10 षिव कालोनी देहरादून।
6– श्री संजय कुमार पुत्र श्री महकुल लाल,71–संजय कलोनी, प्रीतमरोड, देहरादून ।
7– श्री सूरजपाल पुत्र श्री प्रेममसी ग्राम पथरियापीर, नेस्विला रोड, देहरादून ।
8– श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री सेवा सिंह, 501, खुडबुडा मोहल्ला देहरादून।
9– श्री गुरबख्श सिंह निवासी आई 253 नेहरु कालोनी देहरादून।

(स) निम्नलिखित प्रार्थियों ने सूचित किया है कि वे विकलांग की श्रेणी में आते हैं, इनको हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का लाइसेन्स होने के सम्बन्ध में लगाई गई षर्त में छूट प्रदान की जाय तथा स्वीकृत परमिट जारी किया जाय। प्राधिकरण ने विचारोपरान्त निर्णय लिया कि निम्नलिखित प्रार्थियों को चालक लाइसेन्स की बाध्यता से छूट प्रदान की जाती है तथा अन्य षर्ते पूर्वत लागू रहेंगी।

1– श्री जीषान पुत्र श्री जहीर अहमद, 310, लोहिया नगर, निरंजनपुर, देहरादून ।

2– श्री सुरेन्द्रसिंह, पुत्र श्री लालसिंह, 27–बाडीगार्ड, राजपुर रोड, देहरादून ।

3– कु0 जाहिदा, पुत्री श्री बाबूखान, बी–119 नेहरू कलोनी, देहरादून।

स्वीकृत परमिट वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.08.10 तक प्राप्त किये जायेंगे। ष

संकल्प सं0–14–

मद संख्या–14 के अन्तर्गत निम्नलिखित परमिट धारिको के विरुद्ध मोटर गाडी अधिनियम–1988 की धारा–86 के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु मामला प्रस्तुत किया गया है। इन परमिट धारको द्वारा अपने परमिटो का नवीनीकरण वर्ष–1999 से वर्ष–2004 के मध्य सम्भागीय परिवहन कार्यालय सहारनपुर से करवा कर वर्ष–2004 के बाद का नवीनीकरण इस कार्यालय से प्राप्त किया गया है। कार्यालय द्वारा छानबीन करने पर पता चला है कि सहारनपुर कार्यालय द्वारा परमिटो का नवीनीकरण नहीं किया गया है। इस प्रकार आरटीए सहारनपुर से परमिट नवीनीकरण के सम्बन्ध में फर्जी सूचना प्राप्त कर परमिट धारकों द्वारा संदिग्ध दस्तावेज प्रस्तुत करके गलत तरीके से परमिटों का नवीनीकरण प्राप्त किया गया है। परमिट धारकों को संदिग्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहते हुऐ, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) हरिद्वार को इन वाहनों को संचालित पाये जाने पर बन्द करने हेतु निर्देषित किया गया था। वाहनों का संचालन रोकने पर चार प्रार्थियो सर्वश्री सूर्य प्रताप, नौषाद अली, इरफान एवं गुलसनम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका संख्या–1668/एमएस/09 दायर की गयी थी।

माननीय न्यायालय ने उक्त याचिका मे दिनाक–7.10.09 को आदेष पारित किये थे कि परमिट धारको के विरुद्व कोई कठोरतम कार्यवाही न की जाये।

मा0 उच्च न्यायालय ने याचिका सं0–1668/एमएस/09 गतिमान होने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12.11.09 में इन परमिट धारकों के प्रकरण पर विचार करना स्थगित किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेष दिनांक 29.12.09 द्वारा इस याचिका को निस्तारित कर दिया गया है तथा मा0 उच्च न्यायालय ने आदेष पारित किये हैं कि याचिकाकर्ताओं के मामले मे यथाषीध्र आदेष पारित किये जायें।

अतः मामले पर विचारोपरान्त निम्नानुसार आदेष पारित किये जाते हैं।

क्र0स0	परमिट धारक का नाम	परमिट सं0 वैधता केन्द्र का नाम एव वाहन संख्या	टिप्पणी
1	इरफान पुत्र श्री अब्दुल	टैम्पो–1881 रुडकी केन्द्र वैध–27.11.09 यूके08टीए–0325	परमिट संख्या 1881 को निरस्त करते हुए रुडकी केन्द्र का नया विक्रम परमिट रुपया 10,000/–प्रषमन शुल्क के साथ स्वीकृत किया जाता है।
2	सूर्यप्रताप पुत्र श्री इन्द्रदेव	टैम्पो–1922 रुडकी केन्द्र वैध–30.11.13 यूके08टीए–0331	परमिट संख्या 1922 को निरस्त करते हुए रुडकी केन्द्र का नया विक्रम परमिट रुपया 10,000/–प्रषमन शुल्क के साथ

			स्वीकृत किया जाता है।
3	नौषाद पुत्र श्री अख्तरअली	टैम्पो–2069 हरिद्वार केन्द्र वैध–14.11.13 यूके08टीए–0313	परमिट संख्या 2069 को निरस्त करते हुए रुडकी केन्द्र का नया विक्रम परमिट रुपया 10,000/–प्रषमन शुल्क के साथ स्वीकृत किया जाता है।
4	गुलसनम पुत्र श्री उमरदराज	टैम्पो–1831 रुडकी केन्द्र, वैध–17.10.13 यूके08टीए–0322	परमिट संख्या 1831 को निरस्त करते हुए रुडकी केन्द्र का नया विक्रम परमिट रुपया 10,000/–प्रषमन शुल्क के साथ स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त परमिट धारकों द्वारा वाहनों के पुराने परमिटों को जमा कराने के पष्चात वाहनों के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर नया टैम्पो परमिट दिनांक 31.08.10 तक कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। भविष्य में एलपीजी/सीएनजी फिलिंग स्टेषन स्थापित हो जाने पर परमिट पर एलपीजी/सीएनजी चालित वाहन प्रतिस्थापित की जायेंगी।

संकल्प सं0–15–

(अ) इस मद के क्रम सं0–1 और 2 में टैम्पो वाहनों के चालकों द्वारा सवारियों से अभद्रता करने एवं गंतव्य तक नहीं छोडने की षिकायतें प्राप्त हुई हैं। वाहन स्वामियों को कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था। क्रम सं0–1 मे उल्लेखित परमिट धारक ने इस कार्यालय द्वारा जारी नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। जबकि क्रम सं0–2 में उल्लेखित परमिट धारक ने गलती के लिये क्षमा याचना की है। प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त इन मामलों में निम्न प्रकार प्रषमन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

1– वाहन संख्या–युए07एम–4743, परमिट संख्या–टैम्पो 3946–प्रषमन शुल्क–रु 2,000/–

2– वाहन संख्या–यूके07टीए–0247, परमिट संख्या–टैम्पो 4143–प्रषमन शुल्क–रु 2,000/–

क्रमांक 3 में वाहन संख्या–यूपी07जी–3845 का चालान दिनांक 22.02.10 प्रस्तुत किया गया है, जो सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा 68 के सापेक्ष 85 सवारी ढोए जाने के विरुद्व किया गया है। प्रवर्तन षाखा से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त वाहन का यह दूसरा चालान किया गया है। परन्तु परमिट धारक का कथन है कि उपरोक्त परमिट संख्या पीएसटीपी 1574 उनके नाम दिनांक 24.02.08 को हस्तांतरित हुआ है, इसलिये यह उनके नाम से प्रथम चालान है और उन्होंने चालान को कम्पाउन्ड करने का निवेदन किया है।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि उक्त चालान को प्रथम चालान मानते हुए ओवरलोडिंग के लिये परमिट को दो माह के लिये निलंबित किया जाता है तथा निलंबन के लिये रु 8500/– प्रषमन षुल्क निर्धारित किया गया है।

क्रमांक 4 में स्थाई सवारी गाडी परमिट संख्या–पीएसटीपी 1788 से आच्छादित वाहन संख्या–यूए07एफ–2555 के चालान दिनांक 10.11.06 को प्रस्तुत किया गया है, जो यातायात उपनिरीक्षक देहरादून द्वारा वाहन में 20 सवारी ओवरलोड होने के अपराध में किया गया है।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि उक्त चालान के लिये परमिट का दो माह के लिये निलंबन अथवा रु 6000/–प्रषमन षुल्क निर्धारित किया जाता है।

(ब)– इस मद के अन्तर्गत प्रर्वतन अधिकारियों द्वारा ओवरलोडिंग तथा अन्य परमिट षर्तों का उल्लंघन करते दूसरा चालान पाये जाने के फलस्वरूप वाहनों के परमिटों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों पर निम्नवत् कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

क्र0सं0	वाहन संख्या	परमिट संख्या	कार्यवाही व निर्णय
1.	यूए08–4489	ऑटो–5010	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
2.	यूए07–क्यू–1007	टैम्पो–3557	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
3.	यूए07ई–5944	टैम्पो–2624	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
4.	यूए07पी–2046	टैम्पो–232	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
5.	यूए07पी–1067	टैम्पो–3779	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
6.	यूए07जे–9480	टैम्पो–4012	एक माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
7.	यूपी07ई–7152	पीसीओपी–3531	एक माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
8	यूए08के–0533	ऑटो–5711	एक माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
9	यूके07टीए–0272	मैक्सी कैब–269	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2500/– प्र0षु0
10	यूए07एन–4897	टैम्पो–2533	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
11	यूए07एम–7911	टैम्पो–867	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
12	यूके07टीए–0149	टैम्पो–3909	एक माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0

13	यूए07टी–0247	टैम्पो–2398	एक माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
14	यूए07पी–8754	टैम्पो–1514	एक माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
15	यूपी07जे–0364 वा0 प्रतिस्थापन यूके07टीए–3163	टैम्पो–3593	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
16	यूके07टीए–0207	टैम्पो–3823	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
17	यूए07ची–6907	टैम्पो–3622	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
18	यूके07पीए–0018	पीएसटीपी–3243	दो माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
19	यूए07एम–1394	टैम्पो–2493	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
20	यूके07पीए–0353	पीएसटीपी–1933	चार माह का निलंबन अथवा रु0 4000/– प्र0षु0
21	यूए07डी–6550	टैम्पो–2127	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2500/– प्र0षु0
22	यूए07एफ–1655	पीएसटीपी–1780	पांच माह का निलंबन अथवा रु0 10000/– प्र0षु0
23	यूए07एफ–4454	टैम्पो–2941	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
24	यूके07सीए–0463	यूपीसीओपी–866	चार माह का निलंबन अथवा रु0 5000/– प्र0षु0

25	यूके07टीए–2799	टैम्पो–4166	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
26	यूए07एफ–3370	टैम्पो–2707	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0

(स) इस मद के अन्तर्गत प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ओवर लोडिंग तथा परमिट षर्तों का उल्लंघन करते पाये जाने पर दो से अधिक चालान होने के फलस्वरूप वाहनों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम 1998 की धारा 86 के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरणों पर निम्नवत् कार्यवाही की जाती है।

क्र0सं0	वाहन संख्या	परमिट संख्या	कार्यवाही व निर्णय
1.	यूए07डी–3671	टैम्पो–4176	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
2	यूए07एल–4186	टैम्पो–436	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2500/– प्र0षु0
3	यूए07एम–2616	टैम्पो–1688	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
4	यूए07एस–0341	यू–पीसीओपी826	एक माह का निलंबन अथवा रु0 2000/– प्र0षु0
5	यूए07क्यू–4003	टैम्पो–2363	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
6	यूए07एम–7969	टैम्पो–2448	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
7	यूए07एस–6051	टैम्पो–4054	दो माह का निलंबन अथवा रु0 2500/– प्र0षु0

8	यूए07टी–3510	टैम्पो–1693	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
9	यूपी07जे–0166	टैम्पो–333	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
10	यूए07के–2948	टैम्पो–2024	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
11	यूए07पी–8404	टैम्पो–3793	एक माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0
12	यूए07जी–6505	टैम्पो–4539	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
13	यूए08बी–9968	टैम्पो–1063	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
14	यूके07टीए–0847	टैम्पो–3600	तीन माह का निलंबन अथवा रु0 3000/– प्र0षु0
15	यूए07एस'2397	पीएसटीपी–1781	एक माह का निलंबन अथवा रु0 1500/– प्र0षु0

संकल्प सं0–16–

इस मद के अन्तर्गत प्रेमनगर–गुलरधाटी मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को पुनः विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 15.05.06 में इस मार्ग पर 22 परमिटों की संख्या निर्धारित करते हुए 04 स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये थे। प्राधिकरण के इन आदेषों के विरुद्व मार्ग के परमिट धारक श्री सुरेन्द्र कुमार ने मा0 एसटीए(टी) के समक्ष रिवीजन सं0– 03/06 दायर की थीं। मा0 एसटीए(टी) के आदेष दिनांक 31.01.07 द्वारा रिवीजन को स्वीकृत करते हुए प्राधिकरण के आदेषों को निरस्त किया गया था तथा निर्देषित किया गया था कि मार्ग की दषा, प्रतिस्पर्धा, प्रदूषण नियंत्रण का उपाय, ईधन की उपलब्धता आदि का सर्वेक्षण कराकर पुनः सभी आवेदन पत्रों पर आदेष पारित करें।

मा0 एसटीए(टी) के उपरोक्त आदेषों के विरुद्व सर्व श्री नरेन्द्र सिंह गुंसाई तथा अन्य तीन, जिनको प्राधिकरण द्वारा मार्ग पर स्थाई सवारी गाडी परमिट स्वीकृत किये गये थे, ने मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका सं0–178/एमएस/07 दायर की थी। मा0 उच्च न्यायालय के अपने आदेष दिनांक 18.02.10 द्वारा याचिका का निस्तारण करते हुऐ याचिका को खारिज किया गया है तथा सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण को मामले पर पुनः विचार करने के आदेष दिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय ने यह भी आदेष दिये हैं कि एसटीए(टी) द्वारा पारित आदेषों के अनुसार मार्ग का सर्वेक्षण नये सिरे से करने के पष्चात ही याचिकाकर्ताओं के प्रार्थनापत्रों पर विचार किया जायेगा।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेषों के अनुपालन में मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून के पत्र दिनांक 21.06.10 द्वारा सर्वेक्षण समिति की आख्या प्रेशित की गई है कि मार्ग/क्षेत्र की आबादी में अत्यधिक वृद्वि हुई है। यात्रियों की संख्या में हुई वृद्वि को दृष्टिगत रखते हुऐ नगर बस के चार परमिट जारी करने की संस्तुति की जाती है।

इस मार्ग पर परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों के विवरण परिषिष्ट ''**थ**'' में दिये गये है, जिनमें 137(Remanded) पुराने प्रार्थना पत्र हैं, जिन पर पुनः विचार करने के आदेष दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त क्रमांक 138 से 164 तक 27 प्रार्थना पत्र तथा अनुपुरक सूची में 6 नये प्रार्थना पत्रों को अंकित किया गया है। पुकारने पर प्राधिकरण के समक्ष केवल 02 प्रार्थी उपस्थित हुऐ। अतः मद को आगामी बैठक के लिये स्थगित किया जाता है।

<u>संकल्प सं0–17</u>–

इस मद के अन्तर्गत श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री धनपाल सिंह ग्राम पो छिददरवाला के प्रार्थनापत्र दिनांक 06.01.10 को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। श्री निर्मल सिंह ने देहरादून सम्भाग के मार्गो हेतु टाटा मैजिक सात सीटर वाहन का स्थाई ठेका परमिट देने हेतु निवेदन किया है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वे विकलांग व्यक्ति हैं। इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र के साथ प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया है।

अतः प्राधिकरण द्वारा मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को डोईवाला केन्द्र से 25 किमी0 अर्धब्यास के लिये एक ठेका गाडी परमिट सामान्य शर्तो के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिये जारी किया जाय। स्वीकृत परमिट 31.08.10 तक नई वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जायेगा। उसके उपरान्त स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

संकल्प सं0–18–

अन्य मद– इस मद के अन्तर्गत अनुपुरक कार्यसूची के मद सं0–1 से 5 में उल्लेखित निम्नलिखित मामलों पर विचार किया गया।

संकल्प सं0–1(अनु0)–

इस मद के अन्तर्गत कोरोनेषन चिकित्सालय(दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय) तक मरीजों के आवागमन हेतु नगर बस सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। मा0 राज्य मंत्री चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं सूचना प्रौधोगिकी उत्तराखण्ड शासन ने सूचित किया था कि पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में आने जाने हेतु मरीजों के आवागमन हेतु यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने निर्देष दिये हैं कि मरीजों/जनता के हित में स्व0 दीनदयाल चिकित्सालय डालनवाला तक कर्जन रोड–बलबीर रोड होते हुए बस सेवा उपलब्ध कराई जाय। इस सम्बन्ध में सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी देहरादून को मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रेषित की है कि दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में उपचार हेतु आने वाली जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एम0डी0डी0ए0–डालनवाला–डाटमंदिर मार्ग की नगर बसों को द्वारिका स्टोर से इन्द्ररोड–कर्जन रोड होते हुए दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय तक चलाया जाना उपयुक्त होगा । विस्तारित मार्ग की लम्बाई 1.8 किमी0 है।मार्ग पक्का है तथा छोटी बसों टाटा–407/709 के संचालन हेतु उपयुक्त है।

मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एमडीडीए–डाटमंदिर मार्ग की बसों का मार्ग विस्तार द्वारिका स्टोर से इन्द्ररोड–कर्जनरोड होते हुए दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय तक कर दिया जाय।

संकल्प संख्या 2 (अनु0):–

इस मद के अन्तर्गत पैवेलियन से एस्लेहाल–कांग्रेस भवन–नेषविला रोड–डोभालवाला–कालीदास रोड–हाथीबडकला–सर्वे गेट–पुलिस चौकी से आगे मंदिर से नया गांव–जौहडी–अनारवाला चौक तक मार्ग निर्मित करने के सम्बन्ध मामला विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। श्री गणेष जोषी माननीय सदस्य, विधान सभा ने सूचित किया है कि उनकी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डोभाल वाला जो कि उनका गृह क्षेत्र भी है, में यातायात की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंनें अपेक्षा की है कि उनके क्षेत्र में परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

इस सम्बन्ध में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन),देहरादून ने मार्ग का सर्वेक्षण करने के पष्चात आख्या प्रेशित् की है कि उपरोक्त क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा दिये जाने हेतु पेवेलियन से एस्लेहाल–काग्रेस भवन–नेषविला रोड–डोभालवाला–कालीदास रोड– हाथीबडकला–सर्वे गेट–पुलिस चौकी से आगे मंदिर से नया गांव–जौहडी–अनारवाला चौक तक मार्ग बनाया जाय। सर्वेक्षण आख्या में यह भी सूचित किया है कि मार्ग की चौडाई लगभग–15 फिट है तथा पक्का मार्ग है, जीप प्रकार की छोटी वाहनों के संचालन हेतु उपर्युक्त है ।मार्ग की लम्बाई 9.00किमी0 है , उन्होनें इस मार्ग पर जीप प्रकार की छोटी वाहनों को 05 परमिट जारी करने की संस्तुति की है।

प्राधिकरण ने उपरोक्त मामले पर विचारोपरान्त निर्णय लिया कि उपरोक्त मार्ग को जीप प्रकार की छोटी वाहनों को ठेका गाडी के रूप में संचालित करने हेतु ''क'' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। मार्ग पर 05 परमिट जारी करने हेतु प्रार्थना–पत्र आमंत्रित किये जांय।

संकल्प संख्या–3(अनु0) :–

इस मद के अन्तर्गत जनपद टिहरी तथा उत्तरकाषी में नवनिर्मित मोटर मार्गो को यातायात के लिए खोलने के सम्बन्ध में मामला प्रस्तुत किया गया है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , नई टिहरी तथा उत्तरकाषी ने मार्गो का सर्वेक्षण करने के पष्चात इन मार्गो को यातायात के लिए खोलने की संस्तुति की है। विचारोपरान्त निम्नूलिखित् मार्गो को यातायात के लिए खोलने तथा इन मार्गो का मार्ग सूची संख्या–1 तथा 4 के परमिटों में निम्नानुसार पृष्ठांकन करने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

1– छतियारा–खवाडा मोटर मार्ग–12 किमी0	–	मार्ग सूची सं0–1
2– धोपडधार–कोपडधार मोटर मार्ग–4.122 किमी0	–	तदैव
3–खालसी से खालसी गांव तक–6.79 किमी0	–	मार्ग सूची सं0–4
4– मनेरी –जखोल–11.00 किमी0	–	तदैव
5–भटवाडी–पाही–द्वारा–गोरषाली–जखोल– 16.00 किमी0–		तदैव

संकल्प सं0–4(अनु0)–

इस मद के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्र से स्थाई आटो रिक्षा परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को विचार व आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। मद में यह उल्लिखित है कि वर्तमान में देहरादून केन्द्र से 2495 आटोरिक्षा परमिट जारी किये गये हैं। इस प्रकार देहरादून शहर में काफी संख्या में परमिट वैध हैं, जिन पर वाहनों का संचालन हो रहा है। देहरादून नगर में संचालित वाहनों की अधिकता तथा वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषणों को देखते हुए देहरादून केन्द्र के लिये अधिक परमिट जारी करना उचित नहीं है। अतः देहरादून केन्द्र से परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

ऋषिकेष नगर का भौगोलिक विस्तार सीमित है। वहॉ पर वर्तमान में 619 आटोरिक्षा परमिट वैध जारी किये गये हैं । इस केन्द्र से और परमिटों को जारी करने की आवष्यकता है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में स्थानीय अधिकारियों से आख्या प्राप्त कर ली जाय, उसके उपरान्त प्राधिकरण की बैठक में परमिट देने हेतु मामला प्रस्तुत किया जाय। अतः ऋषिकेष केन्द्र से परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

हरिद्वार एवं रूड़की केन्द्रों के लिए परिषिष्ट "द" में उल्लिखित सभी प्रार्थियों को आटोरिक्षा परमिट निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किए जाते हैं।

1–आवेदक स्थानीय निवासी हो, इस हेतु मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2–आवेदक बेरोज़गार हो।

3–आवेदक के पास पूर्व में निर्गत कोई परमिट न हो।

4–आवेदक के पास में हल्का वाणिज्यिक मोटर वाहन चलाने का चालक लाईसेंस हो।

5–परमिट को परमिट धारक न्यूनतम 3 वर्षों तक किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

6–स्वीकृत परमिट दिनांक 31.08.2010 तक नई ऑटोरिक्षा वाहन के वैध प्रपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा, तत्पष्चात् स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।

संकल्प सं0–5 (अनु0)–

इस मद में विभिन्न केन्द्रो से स्थाई विक्रम टैम्पो परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को विचार एवम् आदेष हेतु प्रस्तुत किया गया है। मद में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक केन्द्र से कितने–2 विक्रम टैम्पो परमिट जारी किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा विभिन्न केन्द्रो से संचालित विक्रम टैम्पो वाहनों की संख्या तथा इन वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए विगत कई वर्षो से विक्रम टैम्पो वाहनों के नये परमिट जारी नही किये जा रहे हैं। वर्तमान में चल रहे विक्रम टैम्पो वाहनों को भी एलपीजी/सीएनजी वाहनों से प्रतिस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।

मामले पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिषिष्ट "ध" में परमिटों हेतु प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को अस्वीकृत किया जाता है।

(बिजेन्द्र सिंह भण्डारी)
सदस्य,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।

(अजय सिंह नबियाल)
आई0ए0एस0
अध्यक्ष,
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण,
देहरादून।